रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2013/आषाढ़ 5, 1935
No. 314] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2013/ASADHA 5, 1935

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 409(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची में, ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क ' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 628 (अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 409 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

" Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.".

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 627(E), dated 15th November, 2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 410(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची में, ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क ' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]
अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 628 (अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 410 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note, the following Note shall be substituted, namely:–

" Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.".

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II,Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 628(E), dated 15th November, 2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि.411(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची में, ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क ' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 629(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 411 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

" Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.".

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 629(E), dated 15th November, 2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि.412(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची में, ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क ' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 630(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 412 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:—

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note, the following Note shall be substituted, namely:–

" Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.".

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 630(E), dated 15th November, 2001 which has not been amended so far.

सा.का.नि. 413(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची में, ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क ' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 631(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 413 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1

relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note, the following Note shall be substituted, namely:–

" Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.".

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 631(E), dated 15th November, 2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 414(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1)	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	- अध्यक्ष
(2)	ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	- सदस्य
(3)	निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	- सदस्य
(4)	वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	- सदस्य
(5)	संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	- सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान

में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 632(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 414 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal No.2, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal No.2, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal No.2, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 632, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 415(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 633(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 415 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal No.1, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal No.1, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal No.1, Delhi, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to

the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(D) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal

(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt .Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 633, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 416(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी

(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए,1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 634(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 416 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal No.1, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal No.1, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal No.1, Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(E) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 634, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 417 (अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 635(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 417 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal No.2, Kolkata, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal No.2, Kolkata, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal No.2, Kolkata, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(F) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay

scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 635, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि.418(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या

वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 636(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 418 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the

following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Bangalore, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Bangalore, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Bangalore, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(G) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except

where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 636, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 419(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, जयुपर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 637(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 419 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Jaipur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Jaipur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Jaipur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to

the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(H) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal

(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 637, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि.420(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी

(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 638(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 420 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Nagpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Nagpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Nagpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:
(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or
(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(I) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 638, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 421(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, कटक, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, कटक, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, कटक, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 639 (अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 421 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the

following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Cuttack, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Cuttack, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Cuttack, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(J) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 639, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 422(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्ाक और उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्ाक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्ाक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]
अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 640 (अ), नई दिल्ली, तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 422 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(K) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 640, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 423(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1)	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	- अध्यक्ष
(2)	ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	- सदस्य
(3)	निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	- सदस्य
(4)	वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	- सदस्य
(5)	संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	- सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या

वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 641(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 423 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Allahabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Allahabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Allahabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal

(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(L) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 641, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 424(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4

वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्ाक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्ाक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 642 (अ), नई दिल्ली, तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 424 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Chandigarh, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Chandigarh, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Chandigarh, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4

Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.”;

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

“(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group ‘A’ Gazetted Officer in the parent cadre or Department.”;

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

“Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years’.”;

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.”.

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

“ (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.”.

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

“Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.”;

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

“(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group ‘B’ Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group ‘B’ Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group ‘B’ Gazetted Officer in the parent cadre or Department.”;

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

“Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years’.”;

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:
(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or
(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(M) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 642, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 425(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, एर्नाकुलम, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, एर्नाकुलम, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, एर्नाकुलम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या		

उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।

4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 643 (अ), नई दिल्ली, तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 425 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1

relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:—

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(N) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 643, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 426(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 3, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 3, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 3, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।

4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 644(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, dated the June,2013

G.S.R. 426 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, No.3, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, No.3, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, No.3, Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1

relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(O) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal

(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 644, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 427(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी

(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्क और उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्क और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्क के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्क और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्क और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 645 (अ), नई दिल्ली, तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 427 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; o

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(P) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 645, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 428(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 646 (अ), नई दिल्ली, तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 428 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the

following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Jabalpur, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(Q) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in

the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 646, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 429(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान

में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 647(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 429 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the

following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, No.1 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, No.1 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, No.1 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(R) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except

where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 647, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 430(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के

साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1)	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	- अध्यक्ष
(2)	ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	- सदस्य
(3)	निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	- सदस्य
(4)	वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	- सदस्य
(5)	संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	- सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 648(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 430 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, No.2 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, No.2 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, No.2 Mumbai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";
(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–
"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";
(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)
(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-
"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".
(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-
" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".
7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–
(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.
(III) in column 12,–
(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–
"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:
(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or
(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";
(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–
"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(S) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 648, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 431(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, पटना, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, पटना, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, पटना, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 649 (अ), नई दिल्ली, तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 431 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Patna, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Patna, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Patna, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(T) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 649, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 432(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर

विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या

उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 650 (अ), नई दिल्ली, तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 432 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Guwahati, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Guwahati, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Guwahati, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(U) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 650, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 433(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 2, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए,1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]
अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 651(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 433 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, No.2 Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, No.2 Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, No.2 Chennai, Group 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or
(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";
(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–
"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";
(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)
(V) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-
"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 651, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 434(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1)	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	- अध्यक्ष
(2)	ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	- सदस्य
(3)	निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	- सदस्य
(4)	वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	- सदस्य
(5)	संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	- सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या

वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 652(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 434 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, No.1 Chennai, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, No.1 Chennai, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, No.1 Chennai, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(W) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 652, New Delhi,15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 435(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4

वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या

वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 653(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 435 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2001** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(X) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 653, New Delhi, 15.11.2001 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 436(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 3, दिल्ली , समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 3, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 3, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4

वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए,1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी

अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 118(अ), तारीख 24 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 436 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, No.III Delhi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, No.III Delhi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, No.III Delhi Group 'A' and 'B' (Gazetted) and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4

Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.”;

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

“(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group ‘B’ Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group ‘B’ Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group ‘B’ Gazetted Officer in the parent cadre or Department.”;

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

“Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years’.”;

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(Y) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.”.

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

“ (1) Joint Secretary, Department of Financial Services	– Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal (To be nominated by the Department of Financial Services)	– Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services)	– Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal) in the Department of Financial Services	– Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India	– Member.”.

[F.No.05/04/2012 – DRT]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 118(E), New Delhi, 24.02.2003 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 437(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण सं0 **3**, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण सं0 1, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1)	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	- अध्यक्ष
(2)	ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	- सदस्य
(3)	निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	- सदस्य
(4)	वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	- सदस्य
(5)	संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	- सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 634(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 437 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, No.III Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, No.III Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, No.III Kolkata, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except

where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted,

namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(Z) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 119(E), New Delhi, 24.02.2003 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 438(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्क और उसमें की प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्क और प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविटियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्क के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ा सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ा सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ा सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ा से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिट किया जाए) - सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी
(अनुराग जैन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 120 (अ), नई दिल्ली, तारीख 24 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

Notification

New Delhi, dated the June,2013

G.S.R. 438 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Vishakhapatnam, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(AA) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 120(E), New Delhi, 24.02.2003 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 439(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, रांची, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, रांची, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, रांची, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का

विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 121(अ), नई दिल्ली, तारीख 24 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 439 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Ranchi, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Ranchi, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Ranchi, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay

scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(BB) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 121(E), New Delhi, 24.02.2003 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 440(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) से अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं ; या

(ख) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 और ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 और ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' अधिकारी, जिसने सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 122(अ), तारीख 24 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 440 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Pune, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Pune, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Pune, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal

(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:
(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or
(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(CC) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 122(E), New Delhi, 24.02.2003 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 441(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर, समूह 'क' और 'ख'

(राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4

वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 123(अ), नई दिल्ली, तारीख 24 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 441 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay

scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:
(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or
(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or
(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(DD) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 123(E), New Delhi, 24.02.2003 which has not been amended so far.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2013

सा.का.नि. 442(अ)- केंद्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, समूह 'क' और 'ख ' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अनुसूची में, सचिव/रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0+ग्रेड वेतन 7,600 रु0 ।";

3. उक्त नियमों में, स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अवर सचिव या समतुल्य समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

5. उक्त नियमों के स्तंभ 13 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

6. उक्त नियमों में, सहायक रजिस्ट्रार के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-1 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग - अध्यक्ष

(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
(जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए) - सदस्य

(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) - सदस्य

(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या
उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण) - सदस्य

(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य ।"।

7. उक्त नियमों में, वसूली अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने,-

(I) स्तंभ 4 में, स्तंभ, शीर्षक और उसमें की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।
4
वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 ।";

(II). स्तंभ 6 और उसमें की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(III) स्तंभ 12 में,-

(अ) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन, मद सं0 (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारी :

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ख) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; या

(ग) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; या

(घ) ऐसे अनुभाग अधिकारी या समतुल्य समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2, 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है ।";

(आ) टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"।

(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(इ) टिप्पण-2 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"।

(IV). स्तंभ 13 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	-	अध्यक्ष
(2) ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जो वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	-	सदस्य
(3) निदेशक या उप सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग)	-	सदस्य
(4) वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक या उप सचिव (ऋण वसूली अधिकरण)	-	सदस्य
(5) संयुक्त विधि सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य ।"।

[फा0 सं0 05/04/2012-डीआरटी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. 124(अ), नई दिल्ली, तारीख 24 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June,2013

G.S.R. 442 (E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules to amend the **Debts Recovery Tribunal, Lucknow, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003,** namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the **Debts Recovery Tribunal, Lucknow, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non- Gazetted) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2013.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the **Debts Recovery Tribunal, Lucknow, Groups 'A' and 'B' (Gazetted)and Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2003** (hereinafter referred to as the said rules), against serial number 1 relating to the post of Secretary/Registrar, in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 7,600.";

3. In the said rules, column 6 and the entries therein shall be omitted.

4. In the said rules, in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Under Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent Group 'A' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

5. In the said rules, in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman
(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member
(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member
(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

6. In the said rules, against serial number 2 relating to the post of Assistant Registrar, –

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and entries shall be substituted, namely:–

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay Band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note , the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(C) after Note 1, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)
in the Department of Financial Services – Member

(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India –Member.".

7. In said rules, against serial number 3 relating to the post of Recovery Officer,–

(I) in column 4, for the column heading and the entries therein, the following column heading and the entries shall be substituted, namely:-

"Scale of pay or Pay band and grade pay or pay scale.
4
Pay band -3, ₹ 15,600 -39,100 with grade pay of ₹ 6,600.";

(II) column 6 and the entries therein shall be omitted.

(III) in column 12,–

(A) under the heading Deputation, for item number (i), the following item shall be substituted, namely:–

"(i) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or State Judicial Service:

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) Section Officer with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 3, ₹ 15600 – 39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.; or

(c) Section Officer with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department; or

(d) Section Officer with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band – 2, ₹ 9300 – 34800 with grade pay of ₹ 4600 or equivalent Group 'B' Gazetted Officer in the parent cadre or Department.";

(B) for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:–

"Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'.";

(The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.)

(EE) after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.".

(IV) in column 13 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:–

" (1) Joint Secretary, Department of Financial Services – Chairman

(2) Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal
(To be nominated by the Department of Financial Services) – Member

(3) Director or Deputy Secretary (Department of Financial Services) – Member

(4) Director or Deputy Secretary (Debts Recovery Tribunal)

in the Department of Financial Services – Member
(5) Joint Legal Adviser, Reserve Bank of India – Member.".

[F.No.05/04/2012 – DRT]
ANURAG JAIN,Jt .Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 124(E), New Delhi, 24.02.2003 which has not been amended so far.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.